

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी,

अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार की सेवा में आवेदन करने वालों के लिए पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
पिता/पति का नाम ग्राम/महल्ला पोस्ट
थानाजिला.....प्रमण्डल.....राज्य बिहार के हिन्दु/मुस्लिम
धर्म अन्तर्गत जाति के सदस्य हैं जिसे निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

1. भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/93 बी0 सी0 सी0 (सी0) दिनांक 10.9.1993 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-163, दिनांक 13.9.1993 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

2. भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/9/94 बी0 सी0 सी0 (सी0) दिनांक 19.10.1994 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-163, दिनांक 20.10.1994 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

3. भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/7/95 बी0 सी0 सी0 (सी0) दिनांक 24.5.1995 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-88, दिनांक 25.5.1995 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

4. भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/44/96 बी0 सी0 सी0 (सी0) दिनांक 6.12.1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210, दिनांक 11.12.1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

श्री/सुश्री एवं इनके परिवार सामान्यतः जिला
प्रमण्डल राज्य बिहार के निवासी हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण, के अधिसूचना संख्या 36012/22/93 स्था0 (एस0 सी0 सी0) दिनांक 8.9.1993 के खण्ड-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग “क्रीमी लेयर” के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

वार्ड न0 :

सर्किल न0 :

होलिडिंग न0 :

यह प्रमाण-पत्र अंचलाधिकारी, के प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक एवं
आवेदक द्वारा दिए गए शपथ-पत्र संख्या दिनांक के आधार पर निर्गत किया जाता है ।

अनुमण्डल पदाधिकारी

.....